न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 422/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
शंकरराम पुत्र पुनाराम मेघवाल निवासी लुणावास चारणान, तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– रामुदेवी पत्नी लिखमाराम पुत्री पुरखाराम मेगवाल निवासी गांव मणाई तहसील एवं जिला जोधपुर 2– रामाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल निवासी मणाई तहसील व जिला जोधपुर 3– ग्राम पंचायत ईन्द्रोका जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–10–2013 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 28/2009 अनवान श्रीमती रामुदेवी बनाम रामाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एम.के.डूडी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–3–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मणाई तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे लाला, पुरखिया पुत्र विरदा मेगवाल के नाम दर्ज थी । खातेदार पुरखिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 119 पुरखिया को लावल्द फौत होने का उल्लेख करते हुए सहखातेदार एवं उसके भाई लाला पुत्र विरदा कौम मेगवाल के नाम दर्ज कर दिनांक 25–11–74 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 119 के विरूद्ध रेस्पो0 सख्या 1 रामूदेवी पुत्री स्व0 पुरखाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वह मृतक खातेदार पुरखिया की एकमात्र जायंदा पुत्री वारिस होते हुए उसके खातेदारी की भूमि बाबत नामांतरकरण संख्या 119 मे उसे लावल्द फौत होना बताते हुए उसके भाई लालाराम के नाम स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देशके साथ रिमाण्ड किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित होने से वर्तमान अपील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थन पत्र मय शपथपत्रों के साथ पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि के सहखातेदार लालाराम ने

वर्ष 1976 मे ही अपीलाधीन भूमि के 1/2 हिस्से का हस्तांतरण अनाराम पुत्र भोमाराम को कर दिया था तथा उक्त बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 146 वर्ष 1976 मे स्वीकृत हुआ तथा राजस्व रेकर्ड मे अनाराम पुत्र भोमाराम का नाम दर्ज हुआ । उसके पश्चात खातेदार अनाराम का देहांत हो जाने से उक्त भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा अनाराम के वारिसान ने सम्पूर्ण भूमि का बेचान वर्ष 1984 मे रूलीराम को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के कर दिया जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 239 स्वीकृत हुआ तथा रूलीराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होने के बाद रूलीराम ने अपने खातेदारी की भूमि का हस्तांतरण वर्तमान अपीलांट को जरिये पंजीबद्ध विलेख के वर्ष 1985 मे कर दिया तथा उक्त बेचान के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 282 स्वीकृत हुआ तथा हस्तांतरित रकबे के अलग से खसरा नंबर 53/1 रकबा 27 बीघा 03 बिस्वा दर्ज हुआ तब से अपीलांट उक्त 1/2 हिस्से पर बहैसियत खातेदार के काबिज चला आ रहा था । परंतु रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 119 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलांट एवं वर्तमान खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना लगभग 34 वर्ष विलंब से पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलाधीन नामांतरकरण 119 ग्राम पंचायत इन्द्रोका को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया जाने की जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट उक्त आदेश से प्रभावित होने से यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है जिसे अंदर मयाद सुमार कर अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने आपसी मिलावट एवं दुर्भिसंधि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को यह जानकारी पूर्व से ही थी कि अपीलाधीन भूमि के 1/2 भाग की भूमि का पंजीबद्ध बेचान रेस्पो0 संख्या 2 रामाराम के पिता लालाराम द्वारा वर्ष 1976 मे ही कर दिया था तथा उक्त भूमि का आगे से आगे बेचान हो चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट का नाम दर्ज है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे जानबूझकर उक्त तथ्य को प्रकट नही किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन ही नही किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 जो कि वर्ष 1974 मे स्वीकार किया था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2009 मे लगभग 34 वर्ष के विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र निर्णित किये बिना ही सीधे अपील का निर्णय पारित कर दिया जबकि मयाद अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की जानी आवश्यक थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का सद्भाविक केता होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह नेचुरल जस्टिस के विपरीत एवं विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 को निरस्त करने तथा विकल्प मे स्व0 लालाराम द्वारा वर्ष 1974 मे अपने 1/2 हिस्से का बेचान अपीलांट को करने से अपीलांट का नाम यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि ग्राम मणाई के खसरा नंबर 53 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि लाला, पुरखिया पुत्र विरदा मेगवाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी । सह खातेदार पुरखिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 119 पुरखिया को लावल्द फौत होने का उल्लेख करते हुए उसके भाई लाला पुत्र विरदा कौम मेगवाल के नाम दर्ज कर दिनांक 25–11–74 को स्वीकृत किया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 रामुदेवी मृतक खातेदारी पुरखिया की एकमात्र वारिस जीवित थी परंतु उसका नाम अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज नही किया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 एब–इनिश्यो वॉईड था जिसकी जानकारी होने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने पिता के खातेदारी के विधिविरूद्ध पारित किये गये म्युटेशन संख्या 119 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विलंब को क्षमा करने का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उक्त नामांतरकरण संख्या 119 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि वर्तमान अपील के अपीलांट का पुरखिया के खातेदारी की अपीलाधीन भूमि मे कोई अधिकार ही नही है क्योकि अपीलांट जिस भूमि के केता होना बताता है वह भूमि तो सहखातेदार लालाराम के 1/2 हिस्से की है जिसे सहखातेदार लालाराम ने वर्ष 1976 मे अनाराम पुत्र भोमाराम को बेचान कर दिया था, तत्पश्चात उक्त भूमि का आगे से आगे बेचान हुआ जिसके तहत अपीलांट ने खातेदार रूलीराम से जरिये पंजीबद्ध विलेख वर्ष 1985 मे खरीद की थी इसलिए अपीलांट का स्व0 खातेदार पुरखिया के खातेदारी मे किसी प्रकार का कोई राईट उत्पन्न नही होता है इसलिए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के मृतक खातेदार पुरखिया की पुत्री होने बाबत कोई विवाद नही है इसलिए पुरखिया के खातेदारी की भूमि मे अधिकार होने से अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होते ही रेस्पो0 सख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को सही मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं

अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने उसके पिता पुरखिया के फोत होने पर विरासत के भरे जाकर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 119 दिनांक 25–11–74 को निरस्त करने बाबत प्रथम अपील पेश की थी जिसमे केवल वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को ही पक्षकार बनाया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 119 ग्राम पंचायत इन्द्रोका का निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है, जो प्रथमदृष्टियां समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योकि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 विरदाराम के फोतेदगी का नही था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–10–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष पृथक–पृथक दो अपीले क्रमशः 422/2017 एवं 420/2017 पेश हुई है, दोनो अपीलो मे अपीलांट अपीलाधीन भूमि के सद्भावी क्रेता है तथा उनका नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चला आ रहा है ।

इस अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 मे वर्णित कुल 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि लाला, पुरखिया पि0 वीरदा मेगवाल सा0 देह के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमे से सहखातेदार लाला ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अनाराम पुत्र भोमाराम को कर दिया था तत्पश्चात उक्त भूमि खातेदार अनाराम के वारिसान द्वारा वर्ष 1983 मे रूलीलाल को बेचान कर दी गई थी तथा रूलीलाल ने बहैसियत खातेदार वर्तमान अपीलांट शंकरराम को जरिये विक्रय विलेख वर्ष 1985 मे बेचान कर दिया था तथा बेचान के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 282 स्वीकृत हुआ तब से अपीलांट उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार दर्ज चले आ रहे है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2058–61 की प्रति से होती है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 14–10–2013 से अपीलांट प्रभावित होने से इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ यह द्वितीय अपील पेश की है तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया है । अपीलांट शंकरराम पुत्र पूनाराम मेगवाल के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 15–1–85 अनुसार खसरा नंबर 53/1 की 27 बीघा 08 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2058–61 अनुसार अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज है अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होने से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुमति बाबत अपील पेश करने का तथा धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है ।

अपीलांट अपीलाधीन भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 53/1 रकबा 27.08 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ है, ऐसे मे वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत समझते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

कि वे इस अपील के अपीलांट, रेस्पो0गण एवं नामांतरकरण संख्या 119 मे वर्णित भूमि के अन्य हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर